(71)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–4329–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–560/अपील/2011–12.

....

शासन पावर लिमिटेड वलौरी
तहसील एवं जिला सिंगरौली म0प्र0

-----आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

-----अनावेदक

....

श्री संतोष मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 29/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 560/अपील/2011–12 पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के राजस्व प्रकरण कमांक 732/अ–2/10–11 में पारित आदेश दिनांक 31.3.11 के विरूद्ध कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 23.

12.11 को अपील अस्वीकार की गई। जिससे व्यथित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 14.8.13 को अपील निरस्त कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क एवं निगरानी मेमों में संक्षेप में यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमियों भू–अर्जन अधिनियम के तहत शासन द्वारा अर्जित की जाकर प्रार्थी को दिनांक 12.3.09 को प्रदत्त की गई तथा उसके बाद भी आवेदक द्वारा उक्त भूमियों को मौके पर आवासीय व्यपवर्तन किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई इस प्रकार व्यपवर्तन का प्रीमियम एवं भू–राजस्व का निर्धारण व्यपवर्तन किये जाने के दिनांक से ही म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 59ए के अनुसार लागू किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधान का उल्लंघन कर विवादित भूमियों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के वर्ष 2006–07 से ही औद्योगिक व्यपवर्तन का भू–राजस्व एवं प्रीमियम निर्धारण कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। ग्राम सिद्वीकला की विवादित भूमियां अल्टा मंगा पावन प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के आवास के लिये आवासी कालानी का निर्माण किये जाने हेतु व्यपवर्तन की श्रेणी में है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमियों को औद्यौगिक व्यपवर्तन मानकर प्रीमियम एवं भू–राजस्व निर्धारण कर आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा विवादित भूमियों के व्यपवर्तन हेतु धारा– 172 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत दिनांक 19.3.11 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर बिना सूचना व सुनवाई की कार्यवाही किये तथा अधीक्षक भू–अभिलेख परि0 भूमि सिंगरौली द्वारा आवेदक के प्रपत्र ए की नोटिस जारी किये बिना ही विवादित भूमियों के संबंध में भू–राजस्व निर्धारण के प्रस्ताव पर आदेश पारित किया।

4–आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन व्यपर्तन के नियम बनाये गये हैं जो दिनांक 6 जनवरी 1960 को नियम 14 के अनुसूची के वर्ग–1 से वर्ष 6 तक में भू–राजस्व दरे पृथक–पृथक क्षेत्र की भूमियों के लिये अलग–अलग निर्धारित है। चूंकि ग्राम झाझीटोला

नगर पालिका निगम सिंगरौली केबालय सीमाओं के लगभग 15 किलो मीटर से अधिक दूर स्थित है तथा ग्राम सिद्वीकला की वर्तमान जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 3975 है। इस कारण ग्राम सिद्वीकला स्थित विवादित भूमियां उक्त नियम के अनुसूची के वर्ग–6 में वाणिज्जिक तथा औद्यौगिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपतर्वन के लिये भू–राजस्व की दर 1.50 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। इसके बावजूद मनमाने ढंग से उक्त नियम के प्रतिकूल 15 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से भू–राजस्व निर्धारित की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रस्तुत निगरानी ज्ञापन में का अध्ययन किया। उनके द्वारा अपने तर्क में वही तर्क प्रस्तुत किये गये है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

6–मेरे द्वारा कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण का अध्ययन किया जिसमें लेख है कि म0 प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना कमांक एफ–3–29/10/वत्तीस–1 भोपाल दिनांक 4.1.11 के परिसीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदक /कम्पनी के द्वारा अर्जित की जा रही भूमियां निवेश क्षेत्र की सीमा से लगी हुई है। उक्त स्थिति में आवेदक पक्ष का यह तर्क कतई विचार में लिये जाने योग्य नहीं है कि नगरीय क्षेत्र की दरें निर्धारित न कर ग्राम पंचायत की दरे निर्धारित की जानी चाहिये। व्यपवर्तन की कार्यवाही से राज्य शासन को राजस्व के साथ साथ प्रशासनिक कार्यवाही भी है । राज्य शासन को छति होना संभावित है । यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनिर्धारण की गई दरो के अनुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जाती है तो राजस्व प्राप्ति पर विरीत असर पडेगा। आवेदक/कम्पनी द्वारा राज्य शासन के मद में उक्त राशि को अन्डर प्रोटेस्ट मनी के रूप में जमा किया जा चुका है, उसे नियमित रूप से शासन के मद में जमा कराया जावे। कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा यह भी पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यपवर्तन की अनुज्ञा निर्धारित दरो के अनुसार किये जाने में विधि एवं प्रकिया के तहत कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई। राजस्व प्राप्ति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया गया है कि अविलंब अण्डर पोटेस्ट मनी के रूप में आवेदक

कंपनी द्वारा जमा की गई राशि को विधि अनुसार शासन के नियमित मद में जमा कराये जाने का आदेश दिया है वह उचित एवं न्यायसंगत है। प्रकरण के अध्ययन के साथ–साथ आवेदक अधिवक्ता के विचारों पर विचार किया । प्रकरण में आवेदक द्वारा डायवर्सन हेतु आवेदन करने पर विस्तृत जांच की गई तथा शासन के द्वारा निर्धारित दर अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रकरण का विवेचन किया है।

7– उपरोक्त विवेचना के अनुसार आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि उन्हें वर्ष 2006–07 उसे औद्योगिक व्यपवर्तन का भू–राजस्व एवं प्रीमियम निर्धारण नहीं करना था बल्कि वर्ष 2009 से निर्धारित करना था। अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि शासन के द्वारा औद्यौगिक व्यपवर्तन का भू--राजस्व एवं प्रीमियम निर्धारण के लिये वर्ष 2007–08 से कार्यवाही जारी की गई तथा धारा–4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के उपरांत कंपनी के हित में ही भूमि का अर्जन किया गया। अतः कलेक्टार सिंगरौली द्वारा अधिसूचना जारी की गई। कलेक्टर द्वारा म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र दिनांक 4.1.11 एवं औद्यौगिक प्रयोजन के लिये कंपनी ने भूमि उपयोग की है । संहिता के प्रावधान में स्पष्ट लेख है कि जो दरें निर्धारित है वह समय समय पर बदलती रहती है। इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 560/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 14.8.13 में हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं समझता हूँ । आवेदक/कंपनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में जमा किया जावे। निगरानी निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर